

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/6799 /

जबलपुर, दिनांक 27/12/18

II-14-112/18

कु. मोनिता धुर्वे, सहायक ग्रेड-दो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ-इंदौर को दिनांक 12/07/18 से 16/07/18 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17/07/18 से 03/11/18 तक 110 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही/-

(प्रकाश चन्द्र गुप्ता)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)


पृष्ठांकन क्रमांक B/6800 /

जबलपुर, दिनांक 27/12/18

II-14-112/18

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके Memo No. Leave/2388 Indore, Dated 30/11/18 के संदर्भ में कु. मोनिता धुर्वे, सहायक ग्रेड-दो का आवेदन पत्र एवं संलग्न सहपत्रों सहित वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार ।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


24/12/18
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

.....